



(७८)

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, गwalियर

प्रकरण क्रमांक- 1/2017 जिला उज्जैन  
 मैसर्स- एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज  
 लिमिटेड, खोड़ी ग्राम, बड़वाह, जिला खरगौन  
 PBR/अपील/उल्जेन/आ०अ०/2018/0813 (म.प्र.)  
 .....अपीलार्थी

मेरी कालाक इसी लाई  
 इस दस्तावेज़ 1-2-18 को  
 प्रस्तुत। प्राप्तिक तर्क हेतु  
 दिया गया। 8-2-18 नियत।

कालाक आपा कर्ता  
 राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

### बनाम

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, गवालियर
- 2- उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता, जिला- उज्जैन
- 3- जिला आबकारी अधिकारी, जिला उज्जैन  
 .....प्रतिअपीलार्थीगण

न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, गवालियर द्वारा आदेश पृष्ठांकन क्रमांक/5(1)2017-18/3979 दिनांक 09.08.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिक्वी नियमों के पैदा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

गवालियर

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/उज्जैन/आ.आ./2018/0813

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-2018	<p>उभय पक्ष के विद्वानं अभिभाषकों द्वारा अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 9-8-2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 1-2-2018 को प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रथम दृष्टया अवधि अवधि बाह्य है। अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण आदेश की प्रति गुम होना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है। अतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से यह अपील इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।</p> <p>जहां तक प्रकरण के गुण-दोष का प्रश्न है, म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखना अनिवार्य है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उक्त नियम का उल्लंघन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी से उत्तर प्राप्त किया जाकर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य देशी स्प्रिट नियम के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर, नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अपीलार्थी पर रूपये 40,000/- शास्ति अधिरोपित की गई है। इसके अतिरिक्त अपलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्य भाण्डागार उज्जैन, बड़नगर, खाचरौद, तरान एवं एवं महिदपुर पर कुल 1286 दिवस एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतल बंद देशी मदिरा का संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 3,21,500/- कुल राशि 3,61,500/- की शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह दर्शनने का प्रयास किया गया है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतल बंद देशी मदिरा का</p>	

००२

००३

संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने से शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, इसलिए उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जहां अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान हों और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किया जाता है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। फलस्वरूप यह अपील प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

अध्यक्ष